

प्रारूप-5
[कृपया नियम 17, 18 तथा 24 देखें]

रजिस्ट्रीकरण शुल्क का विवरण (धनराशि ₹ में)

विवरण	शहरी				ग्रामीण			
	अस्थाई		स्थाई		अस्थाई		स्थाई	
	सामान्य	सुपर स्पेशलिटी	सामान्य	सुपर स्पेशलिटी	सामान्य	सुपर स्पेशलिटी	सामान्य	सुपर स्पेशलिटी
वाह्य रोगी उपचार	2000	4000	5000	10000	1500	3000	3000	5000
अन्तःरोगी उपचार								
01 से 10 शैया	7000	14000	18000	25000	5000	10000	10000	15000
11 से 20 शैया	10000	18000	20000	30000	8000	15000	15000	20000
21 से 30 शैया	20000	25000	40000	50000	15000	25000	30000	40000
31 से 40 शैया	30000	40000	60000	80000	25000	35000	40000	60000
41 से 50 शैया	40000	60000	80000	120000	35000	45000	60000	80000
51 से 100 शैया	80000	120000	100000	150000	60000	90000	90000	120000
101 से 500 शैया	100000	150000	120000	180000	80000	100000	100000	150000
500 से अधिक	150000	180000	180000	220000	120000	150000	150000	200000
निदान व परीक्षण केन्द्र	5000		20000		3000		10000	
प्रयोगशाला	3000		15000		2000		5000	

टिप्पणी- यदि कोई प्रयोगशाला अथवा निदान व परीक्षण केन्द्र किसी स्थापन के भाग के रूप में वाह्य/अन्तःरोगी उपचार प्रदान करता हो तो, पृथक से रजिस्ट्रीकरण की आवश्यकता नहीं है।

अन्य फीस

- स्थाई रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण पर रजिस्ट्रीकरण शुल्क की आधी धनराशि देय होगी।
- नवीनीकरण का आवेदन देरी से प्रस्तुत करने पर, नवीनीकरण शुल्क की दोगुनी धनराशि सहित रु0 100/- प्रतिदिन शास्ति के हिसाब से शुल्क देय होगा।
- प्रमाण-पत्र की द्वितीय प्रति प्राप्त करने हेतु धनराशि रुपये 200/- शुल्क लिया जायेगा।
- स्वामित्व, प्रबन्धन अथवा वैधानिक स्थापन के नाम में परिवर्तन पर धनराशि रुपये 100/- का शुल्क लिया जायेगा।
- किसी भी अपील के लिए धनराशि रुपये 100/- का शुल्क लिया जायेगा।